



कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

कमांक २२५ / त.शा.-2/F-116-APP(s)/प्र.अ./लोस्वायावि/2017 नया रायपुर, दिनांक 28-10-2017
// आदेश //

सहायक निर्देशक, शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई के पत्र कमांक बी.ओ.ए.टी./आई.एम.पी.-XIII/614201/17787/दिनांक 10.02.2016 के तारतम्य में अप्रेंटिस एक्ट 1961 प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा 8 (3ए) के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्र कमांक- 3679/त.शा./एफ-116-APP(s)/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./नया रायपुर दिनांक 02.05.2017 के अनुसार 07 प्रशिक्षुओं की पूर्ति करने हेतु जारी आदेश के तहत रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक छात्रवृत्ति पर नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु आदेशित किया जाता है :-

क	नाम	श्रेणी	डिग्री/ डिप्लोमा	कार्यालय का नाम	इनरोलमेंट नंबर	टीप
ट्रेड-सिविल इंजीनियरिंग						
1	श्री विनय कुमार शर्मा	सामान्य	डिग्री	अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल जगदलपुर	WCTG 001160600095	
2	श्री विजय कुमार मैत्री	सामान्य	डिग्री	अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल रायपुर	WCTG 001160700003	
3	कु. जया कुमारी	अ.जा.	डिग्री	कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड जांजगीर चांपा	WCTG 001150400046	
4	कु. विभा चंद्रवंशी	अ.जा.	डिग्री	अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल दुर्ग	WCTG 001160600071	
ट्रेड-मेकेनिकल इंजीनियरिंग						
5	श्री रूपेश कुमार साहू	सामान्य	डिप्लोमा	वि./यां. उपखण्ड, दुर्ग	WCTG 006160600124	
ट्रेड-कम्प्यूटर इंजीनियरिंग						
6	कु. प्रीति	अ.जा.	डिग्री	कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड दुर्ग	WCTG 122170600005	
7	श्री जयप्रकाश यादव	सामान्य	डिग्री	कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड महासमुन्द	WCTG 780160400001	आई.टी. ब्रांच के विरुद्ध

उपरोक्त चयन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है -

1. अप्रेंटिस एक्ट 1961 प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा 8 (3ए) की शर्तें लागू होंगी ।
2. प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी ।
3. प्रशिक्षण के पश्चात् विभाग नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।
4. प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर चयन निरस्त किया जा सकता है ।
5. अवकाश की पात्रता अप्रेंटिस एक्ट के अनुसार होगी ।
6. प्रशिक्षु द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनंदिनी संधारित किया जाना होगा ।
7. प्रशिक्षु द्वारा द्विमाही जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से भरकर भेजना होगा ।

नया रा. अ. द्वारा अनुमोदित ।

अधीक्षण अभियंता एवं
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नया रायपुर



कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
तृतीय तल, ब्लॉक-4, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

// कार्यालयीन आदेश //

क्रमांक 225 / त.शा. / F-116 (APP-S) / प्र.अ. / लोस्वायावि / 2017 नया रायपुर, दिनांक 30-10-2017

वर्ष 2017-18 हेतु अप्रेंटिस एक्ट के तहत विभाग में प्रशिक्षण बाबत कार्यालयीन आदेश क्र. 193 दिनांक 05.09.2017 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र.	प्रशिक्षु का नाम	ट्रेड	वर्तमान प्रशिक्षण स्थान	नवीन प्रशिक्षण स्थान
1.	कु. कामिनी	सिविल इंजीनियरिंग (डिग्री)	कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बिलासपुर	कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड दुर्ग

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्राप्त प्र.अ. द्वारा अनुमोदित

अधीक्षण अभियंता एवं
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ.क्र. 8073 / त.शा. / F-116 (APP-S) / प्र.अ. / लोस्वायावि / 2017 नया रायपुर, दिनांक 30-10-2017
प्रतिलिपि-

- सहायक निदेशक, शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (प.क्षे.), न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सेंकण्ड फ्लोर, एस.टी. आई केम्पस, वी.एन. पूरव मार्ग, सीओन, मुम्बई - 400022. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है संबंधित प्रशिक्षु की दैनंदिनी संधारित करें एवं द्विमासिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराएं तथा समयावधि में निर्धारित छात्रवृत्ति प्रदान करें।
- कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- कु. कामिनी, प्रशिक्षु ट्रेड सिविल इंजीनियरिंग (डिग्री) कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड बिलासपुर की ओर उनके आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2017 के तारतम्य सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन प्रशिक्षण स्थान में अपना प्रशिक्षण प्राप्त करें एवं निर्धारित प्रपत्र में द्विमासिक प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं तथा दैनंदिनी को संधारित कर उपलब्ध कराएं।
- लेखा शाखा कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कृपया संबंधित प्रशिक्षु की छात्रवृत्ति खण्ड बिलासपुर से खण्ड दुर्ग को उपलब्ध कराएं।
- एम.आई.एस. शाखा कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट में अपलोड करें।
- कार्यालयीन आदेश नरती।

अधीक्षण अभियंता एवं 28/10/17

नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

प्राप्त प्र.अ. द्वारा अनुमोदित